

اسلامک مدرسہ جدید کاری اساتذہ ایسووسی ایشن آف انڈیا

ISLAMIC MADARSA MODERNIZATION TEACHERS ASSOCIATION OF INDIA (REGD.)

islamik madarsa aaduuniki karan shikshak sang aap indiya (rgd.)

प्रधान कार्यालय - रिसिया, बहराइच (उ.प्र.) Website: www.imass.org.in

सेवानंदे, ५०८० क्रि० १०६४/२०११/१६

दिनांक १०/०९/११

एजाज अहमद

राष्ट्रीय अध्यक्ष
मो. 9919635242

समीउल्ला खाँ शुएव

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
मो. 9918189276

हाफिज जुनैद अहमद

राष्ट्रीय महासचिव
मो. 9425023884

इब्राहीम अंसारी

राष्ट्रीय प्रवक्ता
मो. 8423120300

ईस अहमद खाँ

राष्ट्रीय वरिष्ठ कोषाध्यक्ष
मो. 9628424811

समीउल्ला अंसारी

राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव
मो. 9044795450

बशारत अली

राष्ट्रीय सचिव
मो. 9236570388

बदरुज्जमा

राष्ट्रीय महामंत्री
मो. 9369941311

मो. शफीक खाँ

राष्ट्रीय वरिष्ठ महामंत्री
मो. 9956121486

सुहेब कुरेशी

राष्ट्रीय उपमहामंत्री
मो. 9300612709

मो. शकील

राष्ट्रीय उपमहामंत्री प्रभारी
मो. 9568008064

आस मोहम्मद

राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी
मो. 9415158852

मो. इब्राहीम खाँ

राष्ट्रीय संगठन मंत्री
मो. 9554035379

अशरफ अली

राष्ट्रीय उपसंगठन मंत्री
मो. 9336684463

निवाजिश अली

राष्ट्रीय संगठन सचिव
मो. 9919095493

मोहिउद्दीन

राष्ट्रीय सलाहकार
मो. 9839351278

माहताब आलम

राष्ट्रीय उपप्रवक्ता

नूरुल हसन

राष्ट्रीय उपकोषाध्यक्ष


माननीय केब्लीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री महोदय,
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

विषय-गाजीपुर उ०प्र० के जिलाअल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं वहां के वक्फ लिपिक मु० अमजद के द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजना में काम करने वाले मदरसा शिक्षक को आत्म हत्या के लिए विवश करने पर इन को सस्पेंड कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र। आदरणीय महोदय,

भारत सरकार की मदरसों के लिए वरदान साबित होने वाली मदरसा आधुनिकीकरण योजना SPQEM में काम करने वाले गाजीपुर जिले के मदरसा शिक्षक इकरामुल हक अंसारी जो कि मदरसा फैजानुलउलूम, बहादुरगंज, थाना कासमाबाद में कार्यरत थे और मोहल्ला चौकद्वार बहादुरगंज जिला-गाजीपुर उ०प्र० के रहने वाले थे उनको करीब तीन सालों से वेतन नहीं मिला था। गाजीपुर जिले के मदरसा शिक्षकों ने बताया कि इस बार जब तीन सालों के बाद उक्त मदरसा शिक्षक का छः माह का वेतन आया तो गाजीपुर के जिलाअल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और वहां कार्यालय के वक्फ लिपिक मु० अमजद ने उस शिक्षक से उसकी आधी तनख्वाह रिश्वत में मांगी और कहा कि जब तक वह रिश्वत नहीं देता तब तक उस को तनख्वाह नहीं दी जायेगी। मदरसा शिक्षक पहले ही तीन सालों से तंगहाली का शिकार था। वह इस मांग को पूरा कर पाने में सक्षम नहीं था इसलिए थक हारकर उसने आत्म हत्या कर ली। गाजीपुर के मदरसा शिक्षकों का कहना है कि वहां के मदरसा शिक्षक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय के भूष्यचार से बहुत त्रस्त हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी इस के लिए कम दोषी नहीं है क्योंकि दो सालों से भी ज्यादा समय के बाद उ०प्र० के मदरसों को 2009-10 सत्र का मात्र छः माह का वेतन दिया है जबकि अभी भी इन मदरसा शिक्षकों का दो सालों का वेतन बाकी है और इसके अलावा अभी भी 1228,440,223 करीब 1891 मदरसों के प्रस्ताव 2009 से लम्बित हैं जिनकी तनख्वाहें रिलीज नहीं किया गया है और मदरसा शिक्षक भुखमरी के दौर से गुजर रहे हैं तथा उ०प्र० सरकार ने भी आजतक इस योजना में कोई अंशदान नहीं किया है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि गाजीपुर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी व वक्फ लिपिक मु० अमजद को तत्काल सस्पेंड करके मामले की जांच कराह जाय ताकि यह अपने प्रभाव का प्रयोग कर जांच में बाधा न डाल सकें। जांचोपरांत दोषी पाये जाने पर इन को कड़ी सजा दी जाय। महोदय से अनुरोध है कि शिक्षक के आश्रितों को कम से कम पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिलाई जाय व परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाय।

अति महान कृपा होगी।



इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आफ इंडिया

राष्ट्रीय अध्यक्ष

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट

सेवा में,

९७०५८५६४३५७८४/२०११/१८

माननीय केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री महोदय,
भारत सरकार, अल्पसंख्यक मंत्रालय पर्यावरण भवन,
C.G.O काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली, ११०००३।

प्रेषक,

एजाज अहमद

राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस्लामिक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आफ इंडिया,
कार्यालय रिसिया, जिला बहराइच, उ०प्र०,
पिन- 271875